


15/10/24

आज पत्रावली पेश हुई। वादनी न  
वादनी वकील उपर। वादनी द्वारा  
वादपत्र को आगे नहीं चलाते हेतु  
प्राथमिक पत्र पेश किया गया कि  
मिन वादनी का प्रतिवादीगण से  
आपस में राजीनामा हो गया है।  
जिस कारण वादनी का प्रतिवादीगण  
से कोई अनुतोष नहीं चाहिए।  
वादनी द्वारा सर्वसुलभ प्राथमिक पत्र  
पर गौर किया गया। वादनी का  
प्राथमिक पत्र स्वीकार किया जाकर  
पत्रावली मोट प्रेस में शारिज किया  
जाता है। पत्रावली केसल शुभार  
हाकर नम्बर से कम होकर  
तकमील दायित्व दफ्तर है।



सहायक कलक्टर  
अलवर

39  
 मरुती

Id  
A

(मौ. राजाजलर)